भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1408**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023/21 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है।

एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना

1408. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री बृजेन्द्र सिंह:
श्री उन्मेश भय्यासाहेब पाटिल:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत ब्रांडः एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना से किसानों और उर्वरक कंपनियों को भी लाभ होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि उर्वरकों के पैकेजिंग बैग बदलने से विनिर्माण कंपनियों को हानि हो सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
(घ) क्या इस योजना से विभिन्न उर्वरक विनिर्माताओं के ब्रांड मूल्य को नुकसान पहुंचने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
(ड.) क्या सरकार ने किसी विनिर्माता द्वारा एक नाम से कम गुणवत्ता वाली सामग्री की धोखाधड़ी और बिक्री को रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र कार्यान्वित किए जाएंगे कि देश भर में सभी उर्वरक ब्रांड का एक समान ब्रांड नाम हो?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क) से (च): भारत सरकार ने 24 अगस्त, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से "प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना" (पीएमबीजेपी) नामक उर्वरक राजसहायता स्कीम के तहत उर्वरकों के लिए एकल ब्रांड और लोगो की शुरुआत करके एक राष्ट्र एक उर्वरक को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। पीएमबीजेपी के उद्देश्य उर्वरकों की उपलब्धता के विकल्पों (बास्केट) में वृद्धि करना; किसानों की बाजारों में उपलब्ध अधिक ब्रांडों में से चयन संबंधी द्विधा पर ध्यान देना; क्रिसक्रॉस संचलन को कम करना और परिणामतः समय पर उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करना हैं।

इसके अतिरिक्त, उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ)-1985 में उर्वरक-वार विस्तृत विनिर्देशन निर्धारित किए गए हैं जो स्वदेशी और आयातित दोनों उर्वरकों पर लागू होते हैं। उक्त विनिर्देशनों को पूरा नहीं करने वाले किसी भी उर्वरक को देश में कृषि उद्देश्य के लिए नहीं बेचा जा सकता है। एफसीओ का खंड 19 उन उर्वरकों की बिक्री या निर्माण को कड़ाई से प्रतिबंधित करता है जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

****